मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक 1171/नि.प.766/4/नि-1/72 भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1972.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त विभागाध्यक्ष,
म ध्य प्र दे श .

विषय:- त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण एवं अवकाश प्रयोजनों के लिये दिये जाने बाबत ।

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 65 के नीचे दिये गये जी.आर.ओ. 2 के अनुसार सेवा से त्यागपत्र देने पर, यद्यपि उसके तुरन्त पश्चात पुनर्नियुक्ति हो जाती है, अवकाश के प्रयोजन के लिये पूर्व सेवायें जप्त हो जाती हैं और पुनर्नियुक्ति पर पूर्व में की गई सेवा के फलस्वरूप अर्जित किया हुआ अवकाश समाप्त हो जाता है । भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम 65 के तहत यह निर्णय लिया है कि, जिन प्रकरणों में त्यागपत्र सिविल सर्विस रेग्युलेशन की धारा 418 (बी) के अधीन होने से त्यागपत्र को त्यागपत्र नहीं माना जाता, ऐसे प्रकरणों में अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र की पूर्व सेवा निरन्तर मानी जावेगी । अतः राज्य शासन ने भी निर्णय लिया है कि ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवायें, जो कि सिविल सर्विस रेग्युलेशन की धारा 418 (बी) के अधीन हो अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र के पूर्व की सेवायें निरन्तर मानी जावेगी अर्थात पूर्व में की गई सेवा संबंधी अवकाश का शेष (बेलेन्स) नई सेवा के हिसाब में जोड़ लिया जायेगा ।

2- इसी प्रकार भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम-22 के अधीन यह निर्णय लिया है कि, ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक अपने ही विभाग में अथवा (शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिये योग्य मार्ग द्वारा आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन उस पद के लिये हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देने के लिये कहा जाय, तो त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ

..... के धारण के लिये, यदि नियमों के अन्तर्गत अन्यथा देय हो तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए दिया जावे । भारत सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय पर विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि, राज्य शासन के अधीन शासकीय सेवक जो कि अपने ही अथवा (राज्य शासन के अधीन) अन्य विभागों में ..... के लिये उचित माध्यम से, आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से यदि उन्हें अपने पूर्व पद को त्यागपत्र देने को कहा जाता है तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए, उन्हें पूर्व सेवाओं का लाभ, अन्यथा नियमों के अन्तर्गत देय हो तो, वेतन निर्धारण के लिये भी दिया जावेगा । ऐसे प्रकरणों में वेतन, मूलभूत नियम 27 का उपयोग कर, निर्धारित किया जायेगा ।

3- इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त किस्म के मामलों में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टतः बताई जानी चाहिए कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्यग्रहण करने के लिये उचित अनुमति लेकर त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व की सेवाओं का लाभ मिलेगा । इन आदेशों का विवरण उपर्युक्त प्रमाणीकरण सहित, संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में नोट किया जाना चाहिये । इसके लिये अलग से मंजूरी जारी करना आवश्यक नहीं है ।

4- इन निर्णयों को मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में सम्मिलित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता/—
(देवीप्रसाद)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक ..172/..-..-..../नि-1/72 भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1972

प्रतिलिपि-

राज्यपाल के सचिव/..क सचिव मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल,
राज्य सतर्कता आयुक्त, म.प्र. भोपाल,
पंजीयक, स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय भोपाल,
समस्त वित्तीय अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सचिव, विधान सभा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. पंजीयक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

हस्ता/ (श.मु. पलसुले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

//सत्य प्रतिलिपि//

(के. बी. श्रीवास्तव)